भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1573
29 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: जैविक खेती को बढ़ावा देना
1573. श्री अमरसिंग टिस्सो:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) देश के अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या असम में, विशेषकर कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ के पर्वतीय जिलों में कोई प्रायोगिक परियोजना या संकुल-आधारित सहायता शुरू की गई है;
(ग) यदि हाँ, तो कितने लाभार्थियों को शामिल किया गया है और कितना बजट आवंटित किया गया है; और
(घ) ऐसे क्षेत्रों में जैविक उत्पाद के लिए विपणन और प्रमाणन सहायता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। दोनों योजनाएं जैविक खेती में लगे किसानों को उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, प्रमाणीकरण और विपणन तक संपूर्ण सहायता प्रदान करने पर जोर देती हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता देते हुए जैविक क्लस्टर बनाना और आपूर्ति श्रृंखला बनाना है। दोनों योजनाओं का कार्यान्वयन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के माध्यम से किया जाता है। पीकेवीवाई के अंतर्गत, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 3 वर्षों में प्रति हेक्टेयर 31,500 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से, जैविक खाद सहित कृषि-आधारित/कृषि-बाह्य जैविक आदानों के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से किसानों को 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। एमओवीसीडीएनईआर के तहत, किसान उत्पादक संगठन के गठन, जैविक आदानों के लिए किसानों को सहायता आदि के लिए 3 वर्षों में 46,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से, योजना के तहत किसानों को ऑफ-फार्म/ऑन-फार्म जैविक आदानों के लिए 32500 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के रूप में 15,000 रुपये शामिल हैं।

(ख) एवं (ग): असम राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ के पहाड़ी जिलों को एमओवीसीडीएनईआर योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत कार्बी आंगलोंग में 1000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाली दो किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) और दीमा हसाओ में 1000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाली दो एफपीसी को बढ़ावा दिया गया है।

एमओवीसीडीएनईआर योजना के तहत कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ जिलों के लिए लाभान्वित किसानों की संख्या और आवंटित बजट का विवरण इस प्रकार है।

क्र.स.	जिला	प्रवर्तित एफपीसी की संख्या	लाभांवित किसानों की संख्या	आबंटित निधि
1	कार्बी-आंगलोंग	2	1000	5.57 crore
2	दीमा हसाओ	2	1000	5.19 crore

(घ): राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) एक प्रमाणन योजना है जिसे कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा मुख्य रूप से निर्यात और बड़े पैमाने पर घरेलू उत्पादन के लिए जैविक उत्पादों के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

एमओवीसीडीएनईआर के तहत एनपीओपी के तहत आंतरिक नियंत्रण प्रणाली (आईसीएस) प्रबंधन, प्रशिक्षण और प्रमाणन की गतिविधियों के लिए 3 वर्षों में 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और राज्य स्तर पर मूल्य श्रृंखला विपणन के लिए 3 वर्षों में 4,000 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रदान की जाती है।

वर्ष 2015-16 से, एमओवीसीडीएनईआर योजना के तहत केंद्रीय हिस्से के रूप में असम राज्य को कुल 146.54 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

****